क्रॉनिकल

इयर बुक 2022

सर्वोत्तम ज्ञान का संदर्भ कोष

बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री अद्यतन तथ्य व आंकड़े

संघ लोक सेवा आयोग, राज्यलोक सेवा आयोग व अन्य समकक्ष परीक्षाओं के साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

विगत 28 वर्षों से प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं व सामान्य जागरूक पाठकों के लिए संग्रहीय पुस्तक

नीचे दिए गए कूपन कोड का उपयोग कर 5 निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं हेतु) का लाभ उठाएं। इसके अलावा @chronicleindia.in से किसी भी पुस्तक/पत्रिका व सामग्री की खरीद पर ₹50/- की छूट प्राप्त करें।

स्क्रैच कर कूपन कोड प्राप्त करें

संपादकः एन. एन. ओझा

(सिविल सेवा परीक्षाओं के मार्गदर्शन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव)

लेखन एवं प्रस्तुतिः क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE

Nurturing Talent Since 1990

क्रॉनिकल इयर बुक 2022

बुक कोड: 084

संस्करण 2022

मूल्य: ₹ 350/-

ISBN : 978-81-955729-4-6

प्रकाशक

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा. लि.

कॉरपोरेट ऑफिस:
ए-27डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301,
फोन नं: 0120-2514610-12,
E-mail : info@chronicleindia.in

संपर्क सूत्र:
संपादकीय : 9582948817, editor@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल सहयोग: 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
तकनीकी सहयोग : 9953007634, Email Id: it@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007629, Subscription@chronicleindia.in
प्रिंट संस्करण सेल : 9953007630, circulation@chronicleindia.in

सर्वाधिकार सुरक्षित © क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा. लि.: इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से- इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पुस्तक में प्रकाशित सामग्री उपरोक्त विषय पर प्रकाशित पुस्तकों/जर्नल/रिपोर्ट/ऑनलाइन कंटेंट आदि से संकलित है। लेखक/संकलनकर्ता/प्रकाशक, प्रकाशित सामग्री की मूल लेखन का दावा नहीं करता। प्रकाशित सामग्री को पूर्णत: त्रुटि रहित बनाने का प्रयास किया गया है, फिर भी किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा प्रकाशक/लेखक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। शंका की स्थिति में पाठक स्वयं भारत सरकार के दस्तावेज व अन्य स्त्रोतों के माध्यम से जांच कर सकते हैं
सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।, **पंजीकृत कार्यालय:** एच-31, जी.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016,
मुद्रक: एस के एंटरप्राइजेज, मुंडका, उद्योग नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली - 110041

पुस्तक के विषय में

क्रॉनिकल इयर बुक 2022 को सर्वोत्तम ज्ञान का संदर्भ कोष के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें परिचयात्मक, ज्ञानात्मक और समसामयिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण विषयों की संकल्पनात्मक व तथ्यात्मक जानकारी को विषयवार एक ही जगह पुस्तक में उपलब्ध कराया गया है।

पुस्तक में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें विगत 18 माह के नवीनतम घटनाक्रम, नीति, योजनाएं, कार्यक्रम, रिपोर्ट, सूचकांक, संस्था, संगठन, आयोग, अधिनियम, कानून, संशोधन, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक प्रावधान सहित तथा अन्य सम्बंधित तथ्यों व सामग्री से नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अध्यायवार, भारतीय अर्थव्यवस्था व बुनियादी विकास, सामाजिक विकास और सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवीनतम तकनीक, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन व सतत विकास, भारतीय शासन व प्रशासन, सामयिक इतिहास एवं कला संस्कृति, भारत के पड़ोसी, अंतरराष्ट्रीय घटना व द्विपक्षीय संबंध तथा आंतरिक व बाह्य सुरक्षा आदि अध्याय में प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार की सामग्री सामान्यत: किसी भी पुस्तक में एक साथ इतने विषयों के साथ उपलब्ध नहीं होता।

पुस्तक में विगत एक दशक या उसके पीछे के भी कुछ ऐसे सामग्री को शामिल किया गया है, जिसकी प्रासंगिकता वर्त्तमान में भी बनी हुई है और आगे आने वाले समय में भी बनी रहेगी। इसका उद्देश्य छात्रों का इन सामग्री से जुड़े विभिन्न आयामों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना है, जो उनके तैयारी के लिये महत्वपूर्ण हैं।

पुस्तक में वर्ष 2021 के अतिमहत्वपूर्ण 100 समसामयिक मुद्दों को शामिल किया गया है, ये वैसे मुद्दे हैं, जिसकी प्रासंगिकता न सिर्फ वर्तमान परिपेक्ष्य में बल्कि आगे आने वाले समय में बने रहने के साथ ही मुख्य परीक्षाओं, निबंध और साक्षात्कार के लिये भी समान रूप से ऊपयोगी सिद्ध होंगी।

iqLrd dk mi;ksx% वर्त्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलते स्वरूप में न सिर्फ तथ्यों और आंकड़ो की जानकारी होना आवश्यक है बल्कि विषयों का संकल्पनात्मक ज्ञान होना भी अति महत्वपूर्ण है। अत: अभ्यार्थी पुस्तक में प्रस्तुत किये गए इन तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषणत्मक अध्ययन का उपयोग अपनी तैयारी के लिये कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी राज्य लोक सेवा आयोगों में उत्तर लेखन शैली का गुण्वत्तापूर्ण होना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में अंतिम रूप से सफल होने में इसका योगदान काफी महत्त्वपूर्ण होता है। अत: छात्र इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गए विषयों का अध्ययन कर प्रस्तुत की गई सामग्रियों का उपयोग अपने लेखन शैली में कर उत्तर को और गुण्वत्तापूर्ण बनाने के लिए कर सकते हैं।

पुस्तक की लेखन एवं प्रस्तुति में क्रॉनिकल संपादकीय समूह के सदस्य श्री रूपक कुमार, श्री संयोग कुमार एवं श्री अजीत शंकर का विशेष योगदान रहा है।

आशा है, इन सभी विशेषताओं, विशिष्टताओं एवं अद्यतन जानकारियों से युक्त क्रॉनिकल इयर बुक 2022 आपको पसंद आएगी।

laiknd

विषय – सूची

100 सामयिक मुद्दे

21

आर्थिक परिप्रेक्ष्य के मुद्दे 22-46

- डिजिटल मुद्रा बनाम क्रिप्टोकरेंसी
- नॉन फंजिबल टोकन: डिजिटल अर्थव्यवस्था का नया उभार
- रेनफेड फॉर्मिंग: एक कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण
- डिजिटल कृषि: तकनीकी आधारित कृषि सुधार
- भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश: चुनौतियां और अवसर
- भारत की सेमीकंडक्टर नीति: आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिकता और चुनौतियां
- पर्यावरणीय हितैषी जलवायु स्मार्ट कृषि: सतत कृषि विकास का आधार
- भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन: महत्व एवं चुनौतियां
- हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था: चुनौतियां और सम्भावनाएं
- भारत में फिनटेक: संभावनाएं एवं चुनौतियां
- सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: चुनौतियां और संभावनाएं
- भारत की विनिवेश नीति
- कोविड काल और भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी
- नैनो उर्वरकों का बढ़ता महत्व
- भारतीयों के लिए केज जलीय कृषि का महत्व

राष्ट्र हित व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 47-82

- कर्बी आंगलोंग शांति समझौता
- पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद
- पेगासस स्पाइवेयर: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम गोपनीयता से जुड़ी चुनौतियां
- गैर-कानूनी गतिविधि अधिनियम: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम संवैधानिक अधिकार
- भारत की शरणार्थी नीति
- भारत के लिए म्यांमार का भू-रणनीतिक दृष्टिकोण से विदेश नीति में परिवर्तन
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की परिकल्पना
- सशक्त भारत के निर्माण में नवाचार का महत्व
- सीमापारीय नदी प्रबंधन
- उभरती हुई नवीन प्रौद्योगिकियों के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा
- सीमा सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका
- भारत की लोक कूटनीति
- भारत की मृदुल शक्ति (सॉफ्ट पावर): वर्तमान प्रासंगिकता
- संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत
- भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा
- यूरेशिया में भू-राजनीतिक परिवर्तन
- अफगानिस्तान संकट का कारण एवं प्रभाव
- रूस-यूक्रेन क्षेत्रीय विवाद और भारत
- बाह्य अंतरिक्ष एवं भारत : कूटनीति का नया अवसर एवं चुनौतियां
- ब्रिक्स के 15 वर्ष की उपलब्धियां, चुनौतियां और प्रासंगिकता
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन
- पूर्वी भूमध्यसागरीय (ईस्टमेड) पाइपलाइन परियोजना
- बिम्सटेक की प्रासंगिकता, महत्व एवं चुनौतियां
- वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर: आवश्यकता तथा चुनौतियां
- लुक वेस्ट पॉलिसी: भारत की बढ़ती सक्रियता
- भारत-ताइवान संबंध
- भारत-अफ्रीका संबंध
- बदलती भू-राजनीति में भारत की स्थिति

पर्यावणीय सुरक्षा चिंता 83-93

- भूस्खलन की समस्या (हिमालय क्षेत्रक का विकास)
- समुद्री हीटवेव
- वेस्ट टू वेल्थ
- भारत में ठोस अपशिष्ट और उसका प्रबंधन
- क्लाइमेट-स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
- ऊर्जा संक्रमण की कठिन चुनौतियां
- भारत में वायु प्रदूषण: समस्या की जटिलता
- जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत की दीर्घकालिक रणनीति
- विद्युत् वाहन: धारणीय परिवहन व्यवस्था का भविष्य
- महामारी से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन की चुनौतियां

संवैधानिक मुद्दों की व्याख्या 94-100

- समान नागरिक संहिता: आवश्यकता एवं औचित्य
- संघीय व्यवस्था में राज्यपाल: समालोचनात्मक मूल्यांकन
- दसवीं अनुसूची: समीक्षा की आवश्यकता
- 'एक देश, एक निर्वाचन: स्थायित्व, लागत एवं संघ वाद की दृष्टि से
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)
- 105वां संविधान संशोधन: आरक्षण के सन्दर्भ में राज्यों की शक्ति
- अनिवासी भारतीयों को मताधिकार

शासन आधारित नीतियों का विश्लेषण .. 101-106

- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
- राष्ट्रीय अधिकरण आयोग: अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के सुव्यवस्थीकरण का प्रयास
- महामारी के दौर में संघवाद
- ई-कॉमर्स नियमों का मसौदा: डिजिटल वाणिज्य के दौर में

उपभोक्ता संरक्षण
- न्यायिक व्यवस्था में ई-तकनीक का उपयोग: महत्व एवं चुनौतियां
- गवर्नेंस 4.0: नवीन चुनौतियों के सन्दर्भ में आवश्यकता

मानवीय मूल्य एवं नैतिक मुद्दे 106-109
- पशु अंग प्रत्यारोपण: नैतिक चिंताएं
- आपदा के दौरान मानव मूल्यों का महत्व
- प्रशासन में निष्पक्षता के मूल्य का महत्व
- कॉर्पोरेट शासन में सत्यनिष्ठा के मूल्य एवं चुनौतियां

सामाजिक सरोकार से जुड़े विषय 110-127
- फूड फोर्टिफिकेशन
- बाल विवाह
- भारतीय कृषि क्षेत्र में बढ़ती लैंगिक भागीदारी
- जातिगत जनगणना
- क्षेत्रिय जनसंख्या नियंत्रण नीति
- अंतर-धार्मिक विवाह तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- लैंगिक हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व और चुनैतियां
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
- भारत में नशीली दवाओं का बढ़ता दुरुपयोग
- विवाह की न्यूनतम आयु के लिए पृथक कानून का औचित्य
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- महामारी और मानसिक स्वास्थ्य
- ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा : प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग
- जनजातियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं चुनौतियां

नवीन प्रौद्योगिकी विकास की रूपरेखा ... 127-131
- मेटावर्स: भविष्य की प्रौद्योगिकी
- डीप फेक : साइबर सुरक्षा की चुनौतियां
- डीप ओशन मिशन
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति 2020: समालोचनात्मक समीक्षा
- ट्रांस फैट : भारत एवं वैश्विक पहल

कला, संस्कृति व विरासत 132-137
- मोपला विद्रोह : एक विरोधाभास
- शासन कार्यों में आधिकारिक भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता
- अहोम साम्राज्य : ऐतिहासिक महत्व
- गुरुद्वारा सुधार आंदोलन
- साबरमती आश्रम: सत्याग्रह के प्रतीक स्थल के रूप
- सुब्रमण्यम भारती: तमिल साहित्य के शिरोमणि
- बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट: भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति में भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था व बुनियादी विकास

138

कृषि और संबद्ध क्षेत्र 139-144
- तीन नए कृषि विधेयक वापस
- आईसीएआर का डेटा रिकवरी केंद्र: कृषि मेघ
- जलवायु प्रतिरोधी एवं उच्च पोषक तत्व युक्त फसलें
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- टॉप योजना
- मीठी क्रांति कार्यक्रम
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- हरित अभियान ''टॉप से टोटल''
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्यशृंखला विकास मिशन
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन
- कृषि-वानिकी पर उप-मिशन योजना
- परम्परागत कृषि विकास योजना
- कृषि उड़ान 2.0 योजना
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना
- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति
- ब्लू रेवोलुशन अर्थात् नीली क्रांति नीति
- कृषि निर्यात नीति (एईपी)
- कृषि आधारभूत संरचना निधि
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
- सूक्ष्म सिंचाई कोष
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)
- पशु कल्याण बोर्ड
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- भारतीय खाद्य निगम
- दलवाई समिति
- स्वामीनाथन समिति
- श्री शंकरलाल गुरु समिति

मुद्रा और बैंकिंग 145-151
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से सम्बन्धित संशोधित दिशानिर्देश
- एकीकृत लोकपाल योजना
- आंतरिक लोकपाल योजना
- डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना

- आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना
- नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम
- पीसीए ढांचा (त्वरित सुधार कार्यवाई फ्रेमवर्क)
- कार्ड टोकनाइजेशन
- ई-रूपी
- बैंकिंग कानून (संशोधन विधेयक) 2021
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020
- श्यामला गोपीनाथ समिति
- जी एन वाजपेयी समिति
- बैंकों का विलय और नरसिंहम समिति
- गोइपोरिया समिति
- दामोदरन समिति
- नाचिकेत मोर समिति
- सुदर्शन सेन समिति
- विमल जालन समिति
- उर्जित पटेल समिति
- अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक
- नियो बैंक
- लघु वित्त बैंक
- पेमेंट बैंक
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
- राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड
- बैंक बोर्ड ब्यूरो
- भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक
- भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- एमएससीआई वैश्विक सूचकांक
- आईएफएससीए एक्ट, 2019

मुद्रा और प्रतिभूति बाजार 151-153

- एल्गो ट्रेडिंग पर प्रस्ताव
- सेबी ने किया निवेशक चार्टर का अनावरण
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना
- सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021
- डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम 2021
- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम
- सेबी
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट- 2022
- क्रिप्टोकरेंसी इंडेक्स

वित्तीय समावेशन 154-156

- वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति
- विशेष फोकस वाले जिले में वित्तीय समावेशन
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना
- प्रधानमंत्री जनधन योजना
- आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- स्टैंड-अप-इंडिया योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- कनेक्टेड कॉमर्स: क्रिएटिंग ए रोडमैप फॉर ए डिजिटल इन्क्लूसिव भारत रिपोर्ट
- वित्तीय समावेशन सूचकांक
- नाचिकेत मोर समिति
- रंगराजन समिति

मुद्रास्फीति 157-158

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का पुनर्गठन
- उर्जित पटेल समिति

सेवा क्षेत्र 158-161

- अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) सेवा में सुधार सम्बन्धी विनियमन
- मजदूरी संहिता, 2019
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020
- राष्ट्रीय रोजगार नीति
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- डीजी सक्षम
- आम आदमी बीमा योजना
- मजदूरी संहिता विधेयक 2017
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
- वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संगठन नोएडा
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
- श्रम ब्यूरो के अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र 161-162

- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हेतु रोडमैप
- भारतनेट परियोजना
- राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
- परख - एक एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क
- समृद्ध

कौशल विकास 162-164

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- अटल इनोवेशन मिशन
- अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला
- कौशल भारत मिशन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- कौशल विकास व उद्यमिता हेतु राष्ट्रीय नीति 2015
- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- आत्मनिर्भर भारत अटल न्यू इंडिया चैलेंज
- समर्थ योजना
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
- राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
- भारतीय गुणवत्ता परिषद

पर्यटन 164-167

- संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्ययोजना का प्रारूप
- ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना
- अतुल्य भारत 2.0
- अतुल्य भारत अभियान
- भारत दर्शन ट्रेन
- साथी (एसएएटीएचआई)
- भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)
- विश्व पर्यटन संगठन
- आतिथ्य, प्रौद्योगिकी और पर्यटन उद्योग परिसंघ
- अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रुल, 2021
- पर्यटन नीति 1982
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002
- राष्ट्रीय कार्ययोजना 1992
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2015 का मसौदा
- इकोटूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया

बीमा क्षेत्र 167-169

- महामारी जोखिम पुल
- सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021
- बीमा संशोधन विधेयक, 2021
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
- बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी)
- भारतीय साधारण बीमा निगम

अवसंरचना 169-171

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)
- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)
- वाइवेंट विलेजेज प्रोग्राम
- कपड़ा उद्योग के लिए पी.एल.आई. योजना
- राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
- प्रोजेक्ट उन्नत
- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030
- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक विधेयक 2021

ऊर्जा क्षेत्र 171-177

- भारत का ऊर्जा मानचित्र
- एनर्जी मॉडलिंग फोरम
- रूफटॉप सौर योजना
- हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना
- 'किायती परिवहन के लिये टिकाऊ विकल्प' या 'सतत' (SATAT) योजना
- सौभाग्य योजना
- उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल
- ग्राम उजाला कार्यक्रम
- किसान सुरक्षा अभियान उत्थान महाभियान
- सौर पार्को और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु योजना
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना
- रेणुका बांध परियोजना
- प्यासी जल विद्युत परियोजना
- परमाणु विद्युत गृह
- राष्ट्रीय विद्युत नीति मसौदा 2021
- खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम 2021
- प्रारूप बिजली नियमावली 2021
- राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018
- मिथेनोल मिश्रण नीति
- नई हाइड्रोकार्बन नीति
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG)
- भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी)
- इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम
- अपशिष्ट से ऊर्जा पहल
- भारत एच टू गठबंधन (India H2 Alliance)
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण नेटवर्क
- भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)
- सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आल
- ऊर्जा संक्रमण सूचकांक- 2021
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)

उद्योग क्षेत्र 178-183

- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा
- समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म
- सूक्ष्म, लघु, मध्य उद्यम ऋणों का पुनर्गठन
- शून्य दोष और शून्य प्रभाव योजना
- शहद मिशन और सौर चरखा मिशन
- एस्पायर योजना (Aspire)
- स्फूर्त्ति योजना

- समर्थ योजना
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- उद्यमी मित्र पोर्टल
- चैम्पियंस पोर्टल
- एमएसएमई समाधान
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल, 2018
- फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
- भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति
- खनिज संरक्षण और विकास संशोधन विधेयक 2021
- आविद हुसैन समिति
- कपूर समिति
- नायक समिति
- गांगुली समिति
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
- दीपम

परिवहन 183-190

- भारत गौरव योजना
- वाहन स्क्रेपिंग नीति
- रेलवे में निजी भागीदारी में वृद्धि
- पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय रेल योजना
- हाई स्पीड रेल योजना
- रेल कौशल विकास योजना
- फ्रेट स्मार्ट सिटी योजना
- फेम इंडिया योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III
- ग्रीन फिल्ड राजमार्ग परियोजना
- ब्राउनफील्ड परियोजना
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना
- सागरमाला कार्यक्रम
- सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट
- महाबाहु-ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम
- औद्योगिक गलियारा
- रक्षा गलियारा
- चारधाम परियोजना
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)
- इस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर
- नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021
- महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021
- अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021
- हरित राजमार्ग 2015
- महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद्
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
- सैम पित्रेदा समिति, 2012
- बिबेक देबरॉय समिति, 2015

विनिर्माण 190-196

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन
- बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिये टैरिफ दिशा-निर्देश
- स्टार्टअप परिभाषा में संशोधन
- स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड योजना
- समृद्ध योजना
- स्टार्टअप इंडिया
- घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
- मिशन पूर्वोदय
- एकीकृत स्टील हब
- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' परियोजना
- ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम
- मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना
- 'मेक इन इंडिया'
- हरित एसईजेड
- इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया नीति 2020
- कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019
- सेज नीति 2000
- राष्ट्रीय हरित विमानन नीति
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति
- राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग
- ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021
- वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021
- निर्यात तैयारी सूचकांक
- औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली
- नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल
- राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
- उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग
- बाबा कल्याणी समिति

कर और राजकोषीय नीति 197-199

- संपत्ति मुद्रीकरण
- राज्यों हेतु विशेष उधार विंडो
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जी ई एम)
- पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना
- ई-फाइलिंग पोर्टल
- टैक्सपेयर चार्टर
- HSN कोड

- ऑनरिंग द ऑनरेस्ट
- फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020
- फेसलेस अपील योजना 2020
- पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान
- विवाद् से विश्वास अधिनियम, 2020
- जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम
- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
- जीएसटी परिषद
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
- कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021

विदेश व्यापार 200-203

- एफडीआई नीति में सुधार
- दोहरा कराधान अपवंचन समझौता: (डीटीएए)
- भारत में मुद्रा की परिवर्तनीयता
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता
- स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर)
- फेरा और फेमा
- विदेश व्यापार नीति
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
- तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति
- भुगतान संतुलन पर रंगराजन समिति
- अरविन्द मायाराम समिति
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी)
- प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)
- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- वस्तु तथा विकास रिपोर्ट
- विश्व निवेश रिपोर्ट 2020

सामाजिक विकास और सुरक्षा

महिला एवं बाल विकास व संरक्षण 205-214

- वॉटर सैनिटेसन एंड हाइवीन (वॉश) रणनीति
- राष्ट्रीय महिला नीति, 2016
- महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- कानूनी जागरूकता कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- महिला शक्ति केंद्र
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- स्वधार गृह योजना
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (स्टेप)
- किशोरी शक्ति योजना
- अवैध व्यापार से निपटने के लिए उज्ज्वला स्कीम
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
- पोषण अभियान
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
- पाम राजपूत समिति
- गुरुपदस्वामी समिति, 1979
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2021
- बाल श्रम: वैश्विक अनुमान 2020, प्रवृत्तियां और आगे की राह रिपोर्ट
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर)
- बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021
- बल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट)
- किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015
- महिला विकास से संबंधित अनुच्छेद
- दत्तात्रेय बनाम स्टेट
- मुसमा चौकी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
- जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य
- अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य
- शाहनवाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
- बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित

ट्रांसजेंडर 215-217

- जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन
- ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क
- समान अवसर नीति
- गरिमा गृह
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020
- उभयलिंग व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ

वरिष्ठ नागरिक 218-220

- सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल
- राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (आईपीओपी), 1999
- वयो नमन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)
- बुजुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक 2021
- राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
- के. राजू बनाम भारत संघ और अन्य

अल्पसंख्यक वर्ग 221-224

- अल्पसंख्यक स्कूलों का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन
- बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति 2020
- गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र
- नई उड़ान
- पढ़ों परदेश
- नई रोशनी
- नई मंजिल
- सीखो और कमाओं
- उस्ताद
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
- डॉ॰ गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल
- राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक अधिनियम, 1995
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का विनियमन
- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद 2002
- केरल शिक्षा विधेयक बाद 1958

अनुसूचित जाति व जनजाति 225-227

- जनजातीय गौरव दिवस
- पेसा अधिनियम की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
- श्रेष्ठ योजना
- बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- राज्य सभा द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध, पुनर्वास अधिनियम, 2013
- जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद (2018)
- उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले 1992
- सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018

पिछड़ा वर्ग 228-231

- अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़े वर्गों के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रवासों का निर्माण
- ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता
- ओबीसी छात्रें के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफ)
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि
- राम नंदन समिति
- मंडल आयोग
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)
- संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993
- संविधान (123 संशोधन) अधिनियम, 2019
- चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य वाद (1951)
- इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (1992)
- एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006)

दिव्यांगजन 231-234

- सुगम्य भारत ऐप
- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006
- समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम
- समर्थ (राहत रेस्पाइट देखभाल योजना)
- 'निरमया' स्वास्थ्य बीमा योजना
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
- राष्ट्रीय न्यास
- भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- मनीष शर्मा बनाम उपराज्यपाल और अन्य 2019
- अक्षम व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार

शिक्षा 234-243

- अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग
- शिक्षा में निजी क्षेत्रक भागीदारी
- राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला
- निपुण भारत कार्यक्रम
- पीएमई विद्या
- नई शिक्षा नीति 2020
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 2019
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
- शिक्षा में मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई (साथ) परियोजना
- समग्र शिक्षा कार्यक्रम
- प्रधानमंत्रे युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक योजना
- उत्कृष्ट संस्थान योजना
- शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
- भारत सरकार का उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2021
- डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति 2017
- जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति 2012
- शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण संबंधी समिति (1993)
- डॉ. यशपाल समिति (1992)
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005
- कोठारी आयोग 1964-66
- मुदालियर आयोग (1952-53)

- राधाकृष्णन आयोग (1948-49)
- 86वें संवैधानिक संशोधन
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009
- 103वें संवैधानिक संशोधन

गरीबी 244-248

- गरीब कल्याण रोजगार अभियान
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021
- सूचकांक के आयाम और संकेतक
- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)
- नीति आयोग की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020
- टास्क फोर्स का गठन
- सुमित्रा बोस समिति
- रंगराजन समिति (2012)
- तेन्दुलकर समिति (2005)
- लकड़ावाला विषशेज्ञ दल (1989)
- दांडेकर और रथ (1971)
- अध्ययन दल का गठन (1962)
- बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार, 1984
- पीपुल्स यूनियन ऑर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (AIR 1980)

बेरोजगारी 249-251

- ई-श्रम पोर्टल
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना
- मेक इन इंडिया
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना
- हिमायत योजना
- मुद्रा योजना
- स्टार्ट-अप इंडिया
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट (WESO Trends) 2022
- भगवती कमेटी (1973)
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

स्वास्थ्य 252-260

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN)
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
- स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य की रूपरेखा (एनडीएचबी)
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम)
- विजन 2035: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी
- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
- आयुष्मान भारत योजना
- सार्वभौमिक और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)
- मिशन इंद्रधनुष
- गहन मिशन इंद्रधनुष
- गहन मिशन इन्द्रधनुष 2.0
- भोरे समिति (1946)
- राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20
- हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इण्डियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट
- जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली
- ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2019-20
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट रिपोर्ट 2019
- भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- विश्व स्वास्थ्य सभा
- चिकित्सा उपकरण (सुरक्षा, कारगता और नवाचार) विधेयक 2020
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक 2009
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994
- अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ 2019
- गंटा जय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य
- कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन (CESC) लिमिटेड सुभाष चन्द्र बोस 1992
- कंज्यूमर एजुकेशन व रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ 1995
- पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला 1997

पोषण व खाद्य सुरक्षा 260-267

- फोर्टिफाइड चावल के लिए विनिर्देशों की घोषणा
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन पोर्टल
- मध्याह्न भोजन योजना
- राष्ट्रीय पोषण मिशन
- जीरो हंगर कार्यक्रम
- अनीमिया मुक्त भारत (AMB) योजना
- पोषण वाटिकाएं
- पोषण स्मार्ट विलेज
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- एकीकृत बाल विकास योजना

- जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्ड योजना
- समन्वित बाल विकास योजना
- किशोरी शक्ति योजना
- राष्ट्रीय सप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021
- स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियों की भूमिका
- खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

संचारी एवं गैर-संचारी रोग 268-272

- विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस
- उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के उन्मूलन के लिए की गई पहल
- भारत ने वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन का समर्थन किया
- ग्लोबल हब फॉर पैनडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस
- ब्लैक फंगस
- स्पॉट (SPOT: Scalable and Portable Testing)
- दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति 2021
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021
- वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट- 2021

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास

273

जलवायु परिवर्तन 274-277

- क्लाइड बैंक घोषणा पत्र
- किगाली संशोधन को भारत की मंजूरी
- कृषि में नाइट्रोजन के उपयोग से जलवायु संकट
- कॉप 26
- राष्ट्रीय सतत हिमालय पारितंत्र मिशन
- जलवायु परिवर्तन पर ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट
- IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट
- जलवायु प्रदर्शन सूचकांक
- अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020
- वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक-2021
- ग्लोबल वार्मिंग पर रिपोर्ट
- प्री-2020 कार्य योजना
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
- टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारतीय संघ

प्रदूषण 278-282

- वैश्विक वायु प्रदूषण मानक दिशा-निर्देश
- गंगा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण
- ब्लैक कार्बन और हिमनदों का पिघलना
- पराली दहन से निपटने हेतु बायो डीकंपोजर
- स्काईग्लो: प्रकाश प्रदूषण
- वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
- उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021
- वैश्विक प्लास्टिक प्रबंधन सूचकांक, 2021
- विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2020
- भारतीय शहरों की स्थिति
- केंद्रीय निगरानी समिति
- केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक
- जल अधिनियम 1974
- वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- ध्वनि प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय
- देहरादून की चूना खान का मामला, 1987

सतत विकास 283-287

- विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन-2021
- प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन
- सतत विकास फेमवर्क 2018-22
- तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2018
- सतत विकास रिपोर्ट 2020
- जलवायु संकेतक और सतत् विकास पर रिपोर्ट
- एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21
- अटल भूजल योजना
- सतत् विकास के लिये नीतिगत पहल
- SuM4All पहल
- ब्लू फ्लैग
- ब्लू फ्लैग के मानक
- ग्रीन जीडीपी
- एजेंडा 2030 और भारत
- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGs)
- वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ
- तरुण भगत सिंह बनाम संघ
- एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ

जैव विविधता 287-292

- जैव विविधता पर कुनमिंग घोषणा
- भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व

- इंडियन राइनो विजन 2020
- वैश्विक जैव-विविधता ढांचे पर CBD मसौदा
- पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा
- ब्लैकबक कंजर्वेशन रिजर्व को मंजूरी
- जैव विविधता के लिए वित्तपोषण पहल
- जैव विविधता के संदर्भ में भारतीय कार्य योजना
- प्रोजेक्ट टाइगर
- मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व रिपोर्ट
- डब्लूडब्लूएफ-यूएनईपी की रिपोर्ट
- पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति
- गाडगिल समिति
- विश्व वन्यजीव कोष
- भारतीय जीव/पशु कल्याण बोर्ड
- 'जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021'
- वन अधिकार अधिनियम, 2006
- जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002
- भारतीय वन अधिनियम 1927
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
- संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण
- एमसी मेहता बनाम कमलनाथ

आपदा प्रबंधन 293-296

- जल-मौसम से उत्पन्न आपदाएं
- जल-मौसम संबंधी आपदाओं को रोकने की पहल
- वैश्विक स्तर पर सीसा-युक्त पेट्रोल का प्रयोग समाप्त
- ई-सोर्स मार्केटप्लेस
- आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
- मौसम आपदाओं पर रिपोर्ट
- द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट
- संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय
- UNESCO-IOC का 'सुनामी रेडी' प्रोग्राम
- आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

अपशिष्ट प्रबंधन 296-299

- वेस्ट टू वेल्थ
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम- 2021
- "लाई ऐश की बिक्री पर रुचि-प्रपत्र
- अपशिष्ट प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र
- ई-कचरा नियमों में संशोधन
- अपशिष्ट प्रबंधन पर CPCB की रिपोर्ट
- दुनिया भर में ई-अपशिष्ट की बढ़ोत्तरी
- अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पांच सूत्रीय कार्य-योजना
- ई-कचरा (प्रबंधन) संशोधन नियम 2018
- गोबरधन योजना
- संयुक्त राष्ट्र ई-अपशिष्ट गठबंधन
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016
- कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम

पर्यावरणीय संस्थान व संगठन 300-306

- वन अनुसंधान संस्थान
- भारतीय वन सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय हरित कोर
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- NGT का कानूनी क्षेत्राधिकार
- राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
- भारतीय पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण संस्थान
- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
- पादप आनुवंशिक संसाधनों का राष्ट्रीय ब्यूरो
- राष्ट्रीय बांस मिशन
- भारतीय वन्यजीव संस्थान
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
- वन्यजीवों के लिए राज्य बोर्ड
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
- वन्यजीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो
- केन्द्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
- भारत का पशु कल्याण बोर्ड
- केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
- संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन
- यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
- बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट
- टेरी (TERI)
- कल्पवृक्ष
- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट
- सुलभ इन्टरनेशनल
- नेचर कंजर्वेशन गाउंडेशन (NCF)
- सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज (CWS)
- तरुण भारत संघ
- हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP)
- नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवीन तकनीक

308

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 309-315

- पार्कर सोलर प्रोब
- भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना
- खगोलीय घटना रिंग ऑफ फायर
- दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर चुंबकीय विसंगति
- ब्लॉकचेन तकनीक
- न्यू शेफर्ड
- राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति
- नासा का लूसी मिशन
- ट्रोजन क्षुद्रग्रह
- नासा ने की सनराइज मिशन की घोषणा
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति
- भारत का अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना
- भारत की अंतरिक्ष नीति
- लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR)
- सीमा प्रबंधन पर कार्यबल की रिपोर्ट
- भारतीय अंतरिक्ष संघ
- अंतरिक्ष विज्ञान इनक्यूबेशन सेंटर
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
- अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक

जैव प्रौद्योगिकी 315-317

- जैव-आणविक तंत्र
- विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक
- एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग को मंजूरी कोटिंग
- राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास नीति
- डी.एन.ए. तकनीकी पर स्थाई समिति की रिपोर्ट
- मानव जीनोम एडिटिंग: डब्ल्यूएचओ की नवीन रिपोर्ट
- सिंथेटिक बायोलॉजी और उसका भविष्य
- सिंथेटिक बायोलॉजी के अनुप्रयोग
- बाइरैक
- सिंथेटिक बायोलॉजी और उसका भविष्य
- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति

स्वास्थ्य सुरक्षा 317-326

- केरल में नोरोवायरस संक्रमण
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध इनोवेशन हब लॉन्च
- विश्व के प्रथम मलेरिया टीके को मंजूरी
- वन हेल्थ कंसोर्टियम
- कोविड-19 के पूर्वानुमान मॉडल का विकास
- डीएनए बायोसेंसर
- सिल्क फाइब्रोइन-आधारित हाइड्रोजेल विकसित
- 13वां जनरल प्रोग्राम वर्क (2019-2023)
- मेनिन्जाइटिस के उन्मूलन हेतु वैश्विक रोडमैप
- राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को सहायता
- मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का विकास
- न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UPH)
- गैर संचारी रोग के निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट रिपोर्ट 2019
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- ई-2020 पहल: 2019 प्रगति रिपोर्ट
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट रिपोर्ट-2019
- विश्व स्वास्थ्य संगठन
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
- बी. एन. श्री कृष्ण समिति
- चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020
- पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 1996 SCC (4) 37

रक्षा प्रौद्योगिकी 326-328

- वर्टिकल लॉन्च-शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
- 'क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला'
- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना
- रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति, 2020
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
- ड्रोन नीति का मसौदा, 2021

सूचना प्रौद्योगिकी 329-332

- 5जी टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड
- भारत तथा 5 जी तकनीक
- नासा की नवीन संचार प्रणाली
- मेटावर्स : द नेक्स्ट जेनरेशन इंटरनेट
- टेक्नोलॉजी विजन 2035
- भारत का माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट
- जैव प्रौद्योगिकी नीति (2015-20)
- ICUBE 2019 रिपोर्ट
- जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021
- निजता का मुद्दा और भारत के निगरानी कानून

अंतरराष्ट्रीय व द्विपक्षीय संबंध

333

भारतीय विदेश नीति 334-339

- भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत
- भारत और गुट निरपेक्षता
- गुजराल सिद्धांत
- नेबरहुड फर्स्ट नीति
- परमाणु नीति 2003

- सीटीबीटी से संबंधित प्रावधान
- परमाणु अप्रसार संधि
- भारत का तर्क

भारत और प्रमुख क्षेत्रीय संगठन 339-346

- एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद् की बैठक
- शंघाई सहयोग संगठन और भारत के साथ संबंध
- क्वॉड शिखर सम्मेलन
- भारत के हित
- ऑकस गठन हेतु समझौता
- 13वें ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन
- कार्य और उद्देश्य
- भारत को IOC की सदस्यता का लाभ
- 24वां वार्षिक शिखर सम्मेलन
- 13वां एसेम शिखर सम्मेलन
- एसेम शिखर सम्मेलन
- भारत G20 'ट्रोइका' में शामिल
- जी20 देशों का विशेष शिखर सम्मेलन
- क्या है जी20

भारत और क्षेत्रीय संबंध 347-355

- मध्य एशिया की सामरिक स्थिति
- भारत - मध्य एशिया प्रमुख मुद्दे
- इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र
- रणनीतिक महत्व
- भारत की नीति का विकास
- भारत के लिए रणनीतिक महत्व
- भारत के प्रयास
- दक्षिण एशिया और ऊर्जा सुरक्षा
- ऊर्जा क्षमता
- हिंद महासागर संवाद
- हिन्द महासागर क्षेत्र
- भारत के हित
- 18वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन
- भारत के लिए महत्व
- आसियान
- भारत और आसियान
- संबंधों के समक्ष चुनौती
- भारत का इस क्षेत्र में किये गए प्रयास
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी और भारत
- समझौते का उद्देश्य

भारत का द्विपक्षीय सम्बन्ध 356-361

- भारत की फिलिस्तीन नीति
- इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास
- भारत और इजराइल
- विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग
- पहली भारत-रूस 2+2 वार्ता
- शांति मित्रता और सहयोग पर संधि
- रूस का भारत हेतु महत्व
- भारत-यूनाइटेड किंगडम संवाद
- सहयोग के क्षेत्र

भारत के पड़ोसी

362

भारत-पाकिस्तान 363-66

- स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक
- गिलगित-बाल्टिस्तान मुद्दा
- करतारपुर कॉरिडोर
- सिंधु जल संधि (IWT)
- विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं
- भारत विरोधी नीति
- पाकिस्तान की सेण्टो की सदस्यता
- अन्य पारंपरिक मुद्दे

भारत-अफगानिस्तान 366-369

- अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी
- रेड लाइन्स
- सामरिक मुद्दे
- आर्थिक मुद्दे

भारत-चीन 370-373

- चीन का तिब्बत में राजमार्ग का निर्माण
- चीन का यरलुंग जैगंबो नदी पर बांध निर्माण
- भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता
- भारत-चीन के मध्य अनौपचारिक शिखर सम्मेलन
- सामरिक मुद्दे
- आर्थिक मुद्दा
- रणनीतिक मुद्दे

भारत-नेपाल 374-376

- भारत के विदेश सचिव की नेपाल यात्र
- नेपाल का नव राजनीतिक मानचित्र
- मैत्री संधि
- आर्थिक सहयोग
- सांस्कृतिक सहयोग
- सामरिक मुद्दे
- राजनीतिक मुद्दे

भारत-भूटान 377-379

- चीन का भू-हस्तांतरण प्रस्ताव
- ग्राउंड अर्थ स्टेशन एवं सैटकॉम नेटवर्क समझौता

- भारत-भूटान जल-विद्युत परियोजना
- भारत-भूटान के मध्य व्यापारिक समझौता
- 1949 की भारत-भूटान संधि
- सामरिक मुद्दा
- राजनीतिक मुद्दा
- आर्थिक मुद्दा

भारत-बांग्लादेश 379-381

- मैत्री सेतु
- फेनी नदी के जल से संबंधित समझौता
- भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन
- व्यापार सुविधा
- वित्तीय सहायता
- सामरिक मुद्दा
- राजनीतिक मुद्दा
- आर्थिक मुद्दा

भारत-म्यांमार 381-385

- म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- रक्षा सहयोग
- सामरिक मुद्दे
- आर्थिक मुद्दे
- राजनीतिक मुद्दे

भारत-श्रीलंका 385-387

- भारत-श्रीलंका मत्स्यन विवाद
- भारत-श्रीलंका के मध्य संधि-समझौता
- सामरिक मुद्दे
- राजनीतिक मुद्दे
- आर्थिक मुद्दे

आंतरिक व बाह्य सुरक्षा

388

आंतरिक सुरक्षा 389-393

- आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2022
- रोशनी परियोजना
- सिपरी रिपोर्ट, 2021
- वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2020
- पुलिस सुधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट
- द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट-2021
- क्राइम इन इंडिया 2020 : एनसीआरबी
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ)
- इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी)
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)
- सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978
- एनडीपीएस अधिनियम, 1985
- अनुच्छेद 20: पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों से सुरक्षा
- राष्ट्रपति शासन

साइबर सुरक्षा 393-399

- पेगासस स्पाईवेयर
- एकीकृत थिएटर कमांड्स
- एकीकृत थिएटर कमांड का महत्त्व
- साइबर सुरक्षित भारत योजना
- नई ड्रोन नीति 2021
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
- भारत ड्रोन नीति 1.0
- ड्रोन नीति 2.0
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
- वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई), 2020
- श्रीकृष्ण समिति
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र
- सूचना तकनीक अधिनियम, 2000
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019
- पेगासस जासूसी मामला पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- आईटी एक्ट की धारा 66ए

वित्तीय सुरक्षा 399-401

- बीमा लोकपाल कार्यालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति
- हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल
- कर्मचारी भविष्य निधि
- बीमा लोकपाल नियमावली में संशोधन

भारतीय सीमाएं एवं सीमा प्रबंधन 401-405

- असम-मिजोरम सीमा विवाद
- बोडो समस्या
- सीमावर्ती सड़क संगठन (BRO)
- गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम
- भारत-चीन
- भारत-पाक
- भारत-नेपाल
- सरकार द्वारा आरंभ की गयी पहले
- भारत-भूटान
- सरकार द्वारा आरंभ की गयी पहले
- भारत-म्यांमार
- भारत-बांग्लादेश
- सरकार द्वारा आरंभ की गयी पहले

मनी लॉन्ड्रिग 405-407

- प्रवर्तन निदेशालय
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

भारतीय शासन एवं प्रशासन

408

स्थानीय स्वशासन 409-414

- आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र
- आदर्श पंचायती सिटीजन चार्टर
- पंचायत उपबंध अधिनियम,1996
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी)
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAANJHI)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास नीति
- राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति
- भारत का पहला 'जिला सुशासन सूचकांक'
- ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, 2020
- शहरी सांख्यिकी रिपोर्ट
- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता समिति, 1978
- जी. वी. के. राव समिति, 1985
- डॉ. एल. एम. सिंघवी समिति, 1986
- पी. के. थुंगन समिति, 1989
- पेसा अधिनियम 1996
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम

संसद 414-417

- डिजिटल संसद एप
- बंगाल में विधान परिषद बनाने की मंजूरी
- निकायों में सुधार करने वाला देश का 5वां राज्य राजस्थान
- 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019
- केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
- सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान
- ट्रांसजेंडर पर्सन (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019

न्यायपालिका 417-424

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू
- जमानत का प्रावधान एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2021
- भारत में ट्रिब्यूनल प्रणाली
- न्यायिक अवमानना के मामले में अटॉर्नी जनरल की भूमिका
- कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में विवाद
- न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020
- न्यायाधिकरणों पर विधि आयोग की रिपोर्ट
- बी. एन. श्रीकृष्ण समिति
- पूजा स्थल अधिनियम 1991
- ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश, 2021
- अधिकरण सुधार अध्यादेश 2021
- निजता के अधिकार
- आधार की वैधता को सुनिश्चित करना
- जमानत देने से संबंधित न्यायिक निर्णय
- न्यायिक अवमानना हेतु दंड देने का अधिकार
- धारा 377

निर्वाचन आयोग 424-426

- चुनावी खर्च सीमा में बढ़ोतरी
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका
- भारतीय लोकतंत्र में असमान प्रतिनिधित्व
- सीविजिल ऐप
- चुनावी बॉण्ड
- इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम
- चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
- ईवीएम मशीन में नोटा का विकल्प

ई-प्रशासन 427-429

- ई-सम्पदा मोबाइल ऐप
- ऑनलाइन विवाद समाधान
- ई-गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट
- डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स
- राष्ट्रीय ई-शासन योजना
- समेकित मिशन मोड परियोजना

सामयिक इतिहास, कला एवं संस्कृति

430

भारतीय विरासत 431-436

- यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, 2021
- पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव
- धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल
- सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य
- लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा
- पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना
- स्वदेश दर्शन योजना
- प्रसाद योजना
- थारू जनजाति से संबंधित जनजातीय पर्यटन योजना

- आदर्श स्मारक योजना
- एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम
- सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन
- यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट-2021
- यूनेस्को
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
- भारतीय विरासत संस्थान
- उपासना स्थल अधिनियम, 1991
- स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958
- कान इलांगो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला

त्योहार व उत्सव 437-440

- कोलकाता दुर्गा पूजा अमूर्त विरासत सूची में शामिल
- आजादी का अमृत महोत्सव
- वांचुवा महोत्सव 2021
- पर्यूषण पर्व
- भूमि पांडुगा उत्सव
- जलीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चित्रकला 441-443

- इंडोनेशिया में मिली 45,500 साल पुरानी पेंटिंग

मूर्तिकला 444-445

- योगिनी की मूर्ति को भारत लाया गया

स्थापत्य कला 446-449

- गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष
- सिन्धु कालीन स्थापत्य कला
- गुप्तकालीन स्थापत्य कला
- पल्लव स्थापत्य कला
- चोल स्थापत्य कला
- होयसल स्थापत्य कला
- राजपूतकालीन स्थापत्य कला
- वास्तुकला/स्थापत्य कला

नृत्यकला 449-450

केन्द्रीय बजट-2022-23

451

बजट 2022-23 का संक्षिप्त विश्लेषण .. 451-450

- डिजिटल तकनीकी
- पीएम गतिशक्ति
- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- समावेशी विकास
- कृषि
- वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (ONO R) योजना
- एमएसएमई
- कौशल विकास
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- सक्षम आंगनबाड़ी
- हर घर, नल से जल और आवास
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल
- जीवंत ग्राम कार्यक्रम
- निर्यात संवर्द्धन
- रक्षा में आत्मनिर्भरता
- सनराइज अवसर
- ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्रवाई
- गिफ्ट सिटी
- सीमा शुल्क एवं शुल्क सरलीकरण समीक्षा

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 457-458

- मूल्य तथा मुद्रास्फीति
- सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन
- उद्योग और बुनियादी ढांचा
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5

भारत एक एक नजर में

459

- भारत: ऐतिहासिक परिचय
- धार्मिक परिचय
- भारत का भौगोलिक परिचय
- भारत की जनसंख्या
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021
- भारत का राजनीतिक परिचय
- राष्ट्रीय प्रतीक
- भारत का प्रथम
- समाचार-पत्र और पत्रिका
- देश का पहला राज्य

100 सामयिक मुद्दे

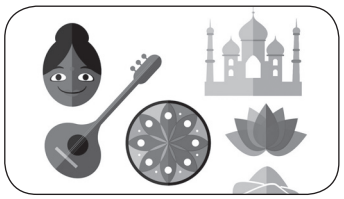

इयर बुक के इस खण्ड में वर्ष 2021-22 वैसे 100 समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दे को समाहित किया गया है, जो भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान व प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के अलावा शासन और नैतिकता सम्बन्धी मुद्दों के विश्लेषण पर आधारित है, जो न सिर्फ वर्तमान समय में बल्कि आगे आने वाले वर्षों में भी प्रासंगिक बने रहेंगे।

वर्तमान में परिवर्तित होती भू-राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से भारत भी प्रभावित हो रहा है, जिसका प्रभाव आर्थिक और वैदेशिक नीतियों पर पड़ने के साथ-साथ ऊर्जा नीति, आतंरिक और बाह्य सुरक्षा पर पड़ रहा है, जबकि साइबर अपराध तथा मानवीय नैतिकता के मुद्दे विशेषकर आपदा के समय में गंभीर प्रश्न बनकर उभरे हैं, इसलिए समसामयिक मुद्दे से सम्बन्धित इस खंड में इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से विश्लेषित किया गया है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा 21 सदी में तकनीकी तथा डिजिटल कृषि का महत्व बढ़ने और जलवायु परिवर्तन से इसके प्रभावित होने का मुद्दे महत्वपूर्ण है, साथ ही अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जिसमें कौशल विकास, अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा तथा सूक्ष्म लघु उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी मुद्दों की समझ वर्तमान में आवश्यक हो जाती है।

इसी प्रकार वर्तमान समय में बदलती भू-राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के पडोसी देशों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव से भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इस खण्ड में भारत की लोक कूटनीति तथा सॉफ्ट पावर की विदेश नीति में भूमिका के साथ-साथ विश्व के प्रमुख वैदेशिक क्षेत्रों के साथ संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य एक समग्र संकल्पना को विकसित करना है।

आर्थिक तथा विदेशी नीतियों की सफलता में राजनीतिक शासन व्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा उभरती नवीनतम तकनीकी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती हैद्य अतः पेगासस, भारत की संघीय व्यवस्था में दल-बदल की समस्या तथा अधिकार सम्बन्धित मुद्दे वर्तमान में प्रमुख प्रश्न बनकर उभरे हैं, जिनका समाधान कर भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है, इसलिए इन सभी संकल्पनाओं की व्याख्या अति आवश्यक हो जाती है।

अतः समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित इन खंड में उपरोक्त सभी पहलुओं को समावेशित कर एक विस्तृत विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है, जो न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य के मुद्दे

इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित वैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है जो समसामयिक प्रवृत्ति के होते हुए भी दीर्घकालिक महत्व के विषय है तथा इस मुद्दों से सम्बन्धित विषयों से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं।
अतः इस खण्ड में वर्तमान में चर्चित रहे मुद्दे जैसे डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो मुद्रा, सूक्ष्म और लघु उद्योग, भारत की विनिवेश नीति के साथ-साथ कृषि से जुड़े तमाम मुद्दे को शामिल किया किया है, जो प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में भी सामान्य रूप से उपयोगी साबित हो सकेगा।

डिजिटल मुद्रा बनाम क्रिप्टोकरेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में डिजिटल करेंसी (Digital Currency) को जारी करने की घोषणा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से डिजिटल रूपी मुद्रा को जारी किया जायेगा। जिसका नियमन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) द्वारा किया जायेगा। यह ब्लाकचेन तकनीक पर आधारित होगी।

- आरबीआई के डिजिटल रुपये के अलावा क्रिप्टो वर्ल्ड में मौजूद सभी क्वाइन वर्चुअल असेट्स में गिने जाएंगे। इनके लेन-देन में अगर किसी को मुनाफा होता है तो उस पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। क्रिप्टो की दुनिया में होने वाले हर लेन-देन पर एक फीसदी TDS लगाया जाएगा। डिजिटल करेंसी वही होगी, जिसे इस साल RBI जारी करेगा। वहीं, क्रिप्टो की दुनिया में मौजूद अलग-अलग तरह की संपत्तियों के हर लेन-देन पर टैक्स लगेगा।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) आगामी वित्त वर्ष में CBDC लॉन्च करेगा। CBDC एक लीगल टेंडर है, जिसे सेंट्रल बैंक एक डिजिटल रूप में जारी करता है। यह कागज में जारी एक फिएट मुद्रा के समान है और किसी भी अन्य फिएट मुद्रा के साथ इंटरचेंजेबल है। यह एक लीगल टेंडर होगा जो आरबीआई द्वारा पेश किया जायेगा, जो मूल्य में रूपी की तरह होगा, बस यह सिक्के या नोट अर्थात् भौतिक की जगह डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा।

क्रिप्टो से अंतरः आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल रूपी या सीबीडीसी ब्लाकचेन व दूसरी अन्य तकनीकि का उपयोग करके बनाया जायेगा। यह एक लीगल टेंडर होगा तथा यह केन्द्रीय बैंक के अधीन होगा जिसका विनियमन आरबीआई द्वारा किया जायेगा।

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो केन्द्रीय बैंक के नियंत्रण में न होकर डेवलपर द्वारा बनाये गए प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है। यह किसी सरकारी संस्था द्वारा विनियमित नहीं की जाती है और इसका मूल्य मांग पर निर्भर करता है यह भी ब्लाकचेन पद्धति पर कार्य करती है तथा इसके लेन-देन हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है तथा इसमें लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाता है

विकेंद्रीकृत मुद्राः यह एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो लेन-देन को सत्यापित करने के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं है। इसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रिप्टोकरेंसी कहते हैं।

- जब भी किसी रुपए अर्थात् भौतिक राशि का लेन-देन होता है तब बैंक इस बात की जांच करता है कि भेजने वाले के खाते में पर्याप्त राशि है या नहीं। इसके बाद ही इसके लेन-देन को मंजूरी प्रदान की जाती है, मगर क्रिप्टोकरेंसी में यह नहीं होता है
- क्रिप्टो भेजने के बाद उसको कई कम्प्यूटर द्वारा उसे सत्यापित किया जाता है, जिनका एल्गोरिदम समान होता है।
- इसमें किसी केन्द्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा कहा जाता है जिसके लिए क्रिप्टोकरेंसी डिसट्रिब्यूटेड लेजर (बही खाता) तकनीक का उपयोग होता है।
- यह बहुत ही सुरक्षित होता है। इसमें लेन-देन के रिकॉर्ड को बदला या हटाया नहीं जा सकता है। इसमें जानकारी को कई कैटेगरी में इकट्ठा किया जाता है, जिसे ब्लॉक कहते हैं तथा एक दूसरे से जुड़े होते है इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसमें लेन-देन को सत्यापित करने हेतु एनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है।
- सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा के विपरीत क्रिप्टो जैसी आभासी मुद्रा का मूल्य मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। विश्व की पहली क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन थी, जिसे 2009 में पेश किया गया था

कैसे होता है लेन-देनः इसका लेन-देन बैंक खाते की तरह ही वॉलेट के जरिय किया जाता है। इसमें दो पते होते हैं- सार्वजानिक पता और नीजि पता।

- सार्वजानिक पता का अर्थ है जहां धनराशि भेजी जाती है तथा क्रिप्टो भेजने के लिए इस पते की जरूरत है यानी जिस किसी को भी यह मुद्रा भेजनी होती है उसके पब्लिक एड्रेस की जरूरत होती है। क्रिप्टो मुद्रा को क्रिप्टो वॉलेट में जमा किया जाता है, जो भौतिक या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो सकता है। इसे हॉट वॉलेट स्टोरेज तथा कोल्ड वॉलेट स्टोरेज में जमा किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लाभः तीव्र और सस्ते लेन-देन आधारित होता है, क्योंकि इसमें बिचौलियों की भूमिका नहीं होती है।

मुद्रास्फीति विरोधी मुद्राः क्रिप्टोकरेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफी हद तक 'वृद्धिमान प्रक्षेप वक्र' (Growing Trajectory) द्वारा निर्धारित होती हैं। इससे मुद्रा पर अपस्फीतिकारी प्रभाव (Deflationary Effect) उत्पन्न होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था व बुनियादी विकास

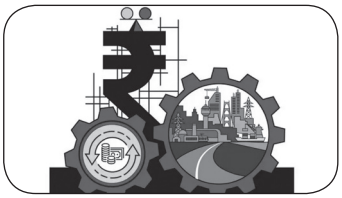

कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो साल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहा है। संक्रमण की नयी लहरों, आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान, और हाल ही में मुद्रास्फीति के कारणवश नीति-निर्माण के लिए यह समय विशेषतः चुनौतीपूर्ण रहा है। इन चुनौतियों की तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों एवं व्यापार क्षेत्र के लिए एक विस्तृत सुरक्षा-जाल का गठन किया।

इसके उपरांत, बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी तथा मध्यम-अवधि की मांग पुनः बढ़े, एवं अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति-पक्ष उपायों को कृतसंकल्प लागू किया गया।

भारत में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 में 9.2 प्रतिशत के विस्तार की उम्मीद है। महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस क्षेत्र के 2021-22 में 3.9 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। 2020-21 में 7 प्रतिशत संकुचन के पश्चात्, उद्योग के सकल मूल्यवर्धन (खनन और निर्माण सहित) में 2021-22 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि अग्रिम तौर पर अनुमानित है।

सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 2021-22 में कुल खपत में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी खर्च का महत्वपूर्ण योगदान है।

वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात 2021-22 में असाधारण रूप से मजबूत रहा है, वहीं घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आयात में भी मजबूती आई है।

आर्थिक गति तीव्र होने, और आपूर्ति-पक्ष सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.0-8.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। अनिश्चित समय के दौरान वित्तीय तंत्र दबाव का एक संभावित क्षेत्र होता है।

हालांकि, भारत के पूंजी बाजारों ने कई वैश्विक बाजारों की तरह असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी मदद से भारतीय कंपनियों के लिए रिकॉर्ड- स्तर पर जोखिम पूंजी जुटाना संभव हुआ है। गौरतलब है कि बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और गैर-निष्पादित आस्तियों में, महामारी के विलम्बित प्रभाव को मिलाकर भी, संरचनात्मक रूप से गिरावट आई है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

भारत की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल कार्य बल की 54.6 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के कार्यकलापों में लगी हुई है (संगणना 2011) और वर्ष 2019-20 में देश के सकल मूल्य संवर्धन में इसकी भागीदारी 16.5 प्रतिशत रही है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन कोविड-19 के प्रभाव के प्रति लचीला रहा है। यह क्षेत्र वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा और वर्ष 2021-22 में सुधरकर 3.9 प्रतिशत हो गया। भारत में पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है।

कोविड की वजह से लागू लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों ने गैर-कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया, तथापि वर्ष 2020-21 (प्रथम अग्रिम अनुमान) के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने 3.4 प्रतिशत की विकास दर हासिल किया। आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न उपायों जैसे ऋण, बाजार में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण से इस उद्योग में नवीन स्फूर्ति आई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने लगभग ₹ 252 हजार करोड़ के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया है। भारत ने जिन देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया, उनमें यूएसए, सऊदी अरब है।

नवीनतम घटनाक्रम

तीन नए कृषि विधेयक वापस

लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों के हितों में तीन नए कृषि विधेयक पारित किए गए हैं। हालांकि विभिन्न कृषि संगठन द्वारा विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों को विवादित बता इसका विरोध करने के कारण सरकार ने इसे वापस लिया है।

तीन कृषि विधेयक निम्नलिखित थे-

1. **कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020:** किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।
   - यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।
   - विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
   - किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके।
2. **कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020:** कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ेगा। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान के लिए उसकी उपज के दाम निर्धारित करेगा।
   - इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
   - इससे किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद व बीज तक होगी। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।
3. **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020:** विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य वर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गयी है।
   - संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है। इस संशोधन से कृषि क्षेत्र के समग्र आपूर्ति शृंखला तंत्र को मजबूती मिलेगी तथा कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
   - यह विधेयक कोल्ड स्टोरेज में निवेश और खाद्य आपूर्ति शृंखला (food supply chain) के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा।
   - यह कानून मूल्य स्थिरता लेकर आएगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा।

आईसीएआर का डेटा रिकवरी केंद्रः कृषि मेघ

प्रमुख कृषि अनुसंधान निकाय आईसीएआर के डेटा की सुरक्षा के लिए 2020 को हैदराबाद में एक डेटा रिकवरी सेंटर- 'कृषि मेघ' की शुरुआत की गई है।

मुख्य बिंदुः नवीन डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (NAARM) में की गई है। कृषि मेघ की स्थापना सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है। कृषि मेघ का निर्माण भारत में कृषि के क्षेत्र में जोखिम कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने, ई-प्रशासन की उपलब्धता और पहुंच, शोध, विस्तार एवं शिक्षा के लिए किया गया है।

जलवायु प्रतिरोधी एवं उच्च पोषक तत्व युक्त फसलें

जलवायु प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास

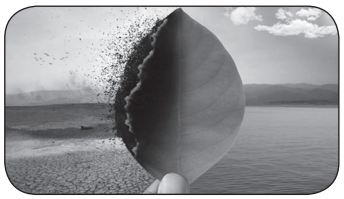

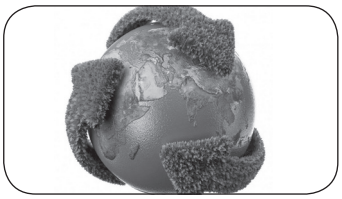

सरकार द्वारा दिसम्बर, 2021 में जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया एवं अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण में तीव्र अनुपथन (ट्रैकिंग) की सुविधा प्राप्त हो सके। विधेयक औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देकर वन्य (जंगली) औषधीय पौधों पर दबाव को कम करने के प्रयास की चर्चा की गई है। विधेयक में आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों या ज्ञान तक अभिगम हेतु भयभीत करने वाले जैव विविधता बोर्डों से उन्मुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। विधेयक में राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक संसाधनों, अनुसंधान, पेटेंट एवं वाणिज्यिक उपयोग में अधिक विदेशी निवेश की चर्चा की गई है। यह विधेयक वर्तमान परिदृश्य में भारत को वैश्विक स्तर पर फैले महामारी से बचने हेतु प्राकृतिक औषधियों के शोध में काफी मदद करेगा।

पूरा विश्व लगभग दो साल से जारी कोरोना महामारी से त्रस्त है। सतर्कता और टीकाकरण से संक्रमण की रोकथाम की कोशिशें भी अपने चरम पर हैं। ऐसे उपायों के साथ हमें दीर्घकालिक नीतियों को अपनाकर ऐसी महामारियों से मानव जाति को सुरक्षित करने के ठोस उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है। वायरस और बैक्टीरिया से होनेवाली बीमारियों का सीधा संबंध पर्यावरण के क्षरण से है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के भारत प्रमुख अतुल बगाई के अनुसार "कोविड-19 महामारी प्राकृतिक क्षेत्रों के क्षरण, प्रजातियों के लुप्त होने तथा संसाधनों के दोहन का परिणाम है।''

पर्यावरणविदों का मानना है कि यह वायरस मनुष्य और प्रकृति के बीच पैदा हुए प्राकृतिक असंतुलन का दुष्परिणाम है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अत्यधिक मांस का उत्पादन, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और बढ़ते वैश्विक तापमान जैसे कारक वन्यजनित विषाणुओं को मनुष्यों में फैलने और भयावह रूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही जलवायु संकट विषाणु जनित रोगों से लड़ने के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी कम कर रही है। दरअसल, विगत कुछ दशकों से हो रहे पारिस्थितिकीय परिवर्तन, बेरोकटोक आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन ने पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुचित तथा असंतुलित प्रयोग को बढ़ाया है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव-विविधता के पतन के दुष्परिणामों को भुगत रही है। महात्मा गांधी के प्रकृति चिन्तन से सम्बन्धित संदेश आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उनके लेखों तथा विचारों में पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिबोध तथा पर्यावरण पर काम करने वालों के लिए कालजयी मार्गदर्शन मौजूद है इसलिये उपभोक्तावाद से त्रस्त अनेक लोग, गांधी दर्शन में मुक्ति तथा विकास का मार्ग खोज रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख भूमंडलीय पर्यावरणीय और विकासात्मक समस्या है। दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में किसी स्थान विशेष या पूरी धरती की जलवायु में आने वाला दीर्घकालिक बदलाव ही जलवायु परिवर्तन है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी ग्रीनहाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों से निःसृत कार्बन डाइ ऑक्साइड आदि गैसों के वायुमण्डल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है।

नवीनतम घटनाक्रम

क्लाइड बैंक घोषणा पत्र

विश्व के 22 देशों के गठबंधन द्वारा वैश्विक समुद्री उद्योग में वि-कार्बनीकरण को गति प्रदान करने के लिए बंदरगाहों के मध्य शून्य उत्सर्जन पोत परिवहन व्यापारिक मार्ग को सृजित करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

- ग्लास्गो में आयोजित हुए COP-26 जलवायु शिखर सम्मेलन में क्लाइडबैंक घोषणा (Clydebank Declaration) को अपनाया गया। इसके तहत वर्ष 2025 तक कम से कम 6 हरित गलियारों की स्थापना का समर्थन करने के प्रति सहमति व्यक्त की गई है।
- यह घोषणा दो या दो से अधिक पत्तनों के मध्य ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर अर्थात् शून्य-उत्सर्जन समुद्री मार्गों की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है।
- इससे वैश्विक समुद्री उद्योग के वि-कार्बनीकरण को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- इसके लिए शून्य उत्सर्जन ईंधन की विकासशील आपूर्ति, वि-कार्बनीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी।
- भारत ने अभी तक इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

किगाली संशोधन को भारत की मंजूरी

अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन को अनुसमर्थन प्रदान किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (Hydrofluorocarbons - HFCs) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित है।

मुख्य बिंदु: भारत 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अपने चरण को 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 80% की संचयी कमी के साथ पूरा करेगा।

- किगाली संशोधन के तहत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को कम कर देंगे।
- हाइड्रोफ्रलोरोकार्बन का चरणबद्ध तरीके से उपयोग बंद करने से 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। इस प्रकार, यह 2100 तक वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बचने में मदद करेगा और ओजोन परत की रक्षा करने में भी मदद करेगा।

कार्यान्वयन रणनीति

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को 2023 तक तैयार किया जाएगा।

- इसे तैयार करने में उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श किया जाएगा।
- किगाली संशोधन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत के उचित नियंत्रण की प्रणाली बनाई जाएगी।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2024 के मध्य तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियमों [Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules] में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
- तय समय-सीमा के अनुसार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन और खपत करने वाले उद्योग इसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे।
- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी।

किगाली संशोधन

- रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक (MOP 28) आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान 170 से अधिक देशों ने भाग लिया।
- इस बैठक के दौरान जलवायु और ओजोन परत की रक्षा करने के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन की सहमति व्यक्त की गई।
- 65 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद किगाली संशोधन 1 जनवरी, 2019 से लागू हो गया। इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत में 80% से अधिक की कमी लाना है।
- इस संशोधन के प्रभाव से सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 0.5° C की वृद्धि से बचा जा सकेगा।
- किगाली संशोधन के बाद, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब और भी अधिक शक्तिशाली साधन हो गया है।

कृषि में नाइट्रोजन के उपयोग से जलवायु संकट

अक्टूबर, 2020 में जर्नल नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार दुनिया भर में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है।

केन्द्रीय बजट-2022-23

संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। 'वार्षिक वित्तीय विवरण' शीर्षक वाला यह विवरण मुख्य बजट दस्तावेज है। 1 फरवरी, 2022 को भारत की वित्त मंत्री ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय बजट पेश किया। इस बजट का एक मुख्य आकर्षण पूंजीगत खर्च को 35 फीसदी बढ़ाने और इसे मुख्यतः, 'सात इंजनों' (सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिकक अवसंरचना) के माध्यम से, देश में बहुआयामी बुनियादी ढांचा के सृजन का प्रस्ताव किया गया है।

बजट 2022-23 का संक्षिप्त विश्लेषण

2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत 'आजादी का अमृत महोत्सव' (Azadi ka Amrit Mahotsav) मना रहा है और इसके साथ ही देश अब 'अमृत काल' में प्रवेश कर गया है, जो भारत @100 (India@100) तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है। सरकार निम्नलिखित विजन को साकार करने का लक्ष्य रखा है जो निम्नलिखित हैं-

- वृहद-अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ-साथ सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण (Inclusive welfare) पर फोकस करना।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव, जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में मदद मिलेगा।

अमृत काल का ढांचा: चार प्राथमिकताएँ:

- पीएम गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता वृद्धि और निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई
- निवेश का वित्तपोषण

अमृत काल के लक्ष्य: वृहद-अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ-साथ सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर फोकस करना।

- डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना।
- निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में मदद करना।

निजी क्षेत्र को बढ़ावा: सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका प्रदान करते हुए निवेश में सुगमकर्ता की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है तथा सरकारी पूंजीगत व्यय को चार क्षेत्रों - सड़क, रेलवे, संचार और रक्षा पर केंद्रित किया गया है।

प्रभाव: पूंजीगत व्यय होने से निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और दीर्घकालिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह पूंजी निर्माण कर, मांग को बढ़ावा प्रदान करेगा।

डिजिटल तकनीकी

सरकार वैश्विक डिजिटल संक्रमण का हिस्सा बनने को तैयार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रसद और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

- यह डेटा केंद्रों को बुनियादी ढांचे की स्थिति की दिशा में एक सही कदम है।

प्रभाव: डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य रजिस्ट्री और दस्तावेजों की रजिस्ट्री जैसी पहल संभावित रूप से कई लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकती है और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल लाभांश से लाभावन्वित करेगा।

डिजिटल संपत्ति/मुद्रा: युवाओं के लिए एक उच्च संभावित रोजगार अवसर के रूप में एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) क्षेत्र की मान्यता, डिजिटल मुद्रा की शुरूआत और आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) जैसे क्रिप्टो-मुद्राओं और एनएफटी को वैध संपत्ति के रूप में मान्यता, नौकरशाही मानसिकता में बदलाव को प्रदर्शित करती है।

प्रभाव: यह नई वैश्विक मांग के अनुरूप युवाओं को नए रोजगार का विकल्प प्रदान करेगा तथा क्रिप्टो कैरेंसी की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा तथा आरबीआई द्वारा वैधानिक मुद्रा के रूप में डिजिटल करेंसी भारत में पूंजी की समस्या को दूर करने में सहायक हो सकेगी।

बजट 2022-23: महत्वपूर्ण संकेत

- विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% होने का अनुमान है।
- उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 क्षेत्रों में 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। पीएलआई योजनाओं में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन सृजित करने की क्षमता है।
- इस बजट के साथ भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आजादी के 75 वर्ष पूरे करने को चिह्नित किया। बजट अगले 25 वर्षों के लिये एक योजना भी निर्धारित करता है।

पीएम गतिशक्ति

पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है।

गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों की विकास परियोजनाओं को एकीकृत करता है।

- इसके अंतर्गत 2019 में घोषित 110 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को भी शामिल कर लिया गया है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक, निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

सड़क परिवहन: राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20000 रुपए जुटाए जाएंगे।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क: 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।

रेल मार्ग: स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना।

- 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा।
- अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रभाव: यह प्रयास भारत में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति प्रदान करेगा तथा डाक सेवा रेल नेटवर्क का एकीकरण कर एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को आगे बढ़ाकर बुनियादी परियोजनाओं के लिए क्षमता का निर्माण कर रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा, साथ ही स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं मजबूत कर बेहतर उर्जा दक्षता के आधार पर सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

समावेशी विकास

कृषि

- देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा।
- गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा।
- नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए "किसान ड्रोन का उपयोग करने पर बल दिया जाएगा।

वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (ONO R) योजना

- बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री ने 'वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (One Nation One Registration) योजना की शुरुआत की। इससे व्यापार करना आसान होगा और जीवनयापन में भी सुधार होगा।
- यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी।
- चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या वाहन पंजीकरण या कोई अन्य पंजीकरण, पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पंजीकरण देश में कहीं भी किया जा सकता है। राज्य की कोई बाधा नहीं होगी।
- इसमें 3C फॉर्मूला अपनाया जाएगा। 3C का अर्थ Central of Records, Convenience of Records and Collection of Records है।
- 14-अंकों की विशिष्ट संख्या भूमि को आवंटित किया जायेगा। इस संख्या को "भूमि की आधार संख्या" कहा जायेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System) को 'एक राष्ट्र एक पंजीकरण' योजना से जोड़ेगी।

केन बेतवा परियोजना

- केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय से किसानों को 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

प्रभाव: किसानों द्वारा एमएसपी सम्बन्धी शिकायतों को दूर कर, जैविक तथा प्राकृतिक खेती को विकसित किया जाएगा तथा डिजिटल कृषि को अपनाकर कृषि लागतों में कमी कर किसानों की आय को दुगुना किया जा सकेगा। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर मृदा तथा अन्य भूमिगत प्रदूषण को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

- तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्यापक योजना लागू की जाएगी, ताकि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष' घोषित किए जाने से कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ-साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश-विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग कर किसानों को लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

एमएसएमई

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।

- 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया।
- ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
- ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा।
- रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (आरएएमपी) प्रोग्राम 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा।